दूरभाष: / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना सख्या–3, झूंसी, प्रयागराज – 221506

Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj,

संदर्भ सं0 ...40 2999 / आ. प्र. नि. - 611 /2019 /2020 दिनांक 03/3/2020

To,

E-Mail/Registered Post

The Registrar,
The National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi
E-Mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com,

Subject:- Compliance of direction issued by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 611/2019 Rakesh Tiwari Versus Dusit Paryavaran Hatao Samiti Versus State of U.P. & Ors. in order dated 13-08-2019

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order issued on 13-08-2019 by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 611/2019 Rakesh Tiwari Versus Dusit Paryavaran Hatao Samiti Versus State of U.P. & Ors. The compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Encl:-As Above.

Your Sincerely

(J. B Singh)
Regional Officer

Copy to:-

1. District Magistrate, Prayagraj. for information.
2. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
3. Sri Pradeep Misra, Advocate Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
5. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.

Regional Officer

Letter Pad-2020

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्र सं0/Ref. No. 446891 / सी–2/BMW–45/2020 दिनांक/Date 24.7.2020

सेवा में,

मैसर्स संगम मेडिसर्व प्रा0लि0,
जयतापुर, हण्डिया,
प्रयागराज ।

पंजीकृत

यह कि मैसर्स संगम मेडिसर्व प्रा0लि0, जयतापुर, हण्डिया, प्रयागराज द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सामूहिक निस्तारण हेतु वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–16 के अंतर्गत एक कम्पनी है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा ।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उप–जिलाधिकारी, हण्डिया, प्रयागराज एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज के अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा संस्था का निरीक्षण दिनांक 11.09.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 में प्रख्यापित प्राविधानों का समुचित अनुपालन नही पाया गया। दिनांक 11.09.2019 को उद्योग में स्थापित इंसीनीरेटर से सम्बद्ध चिमनी से निकलने वाले उत्सर्जन का अनुश्रवण निरीक्षण समिति द्वारा कराया गया जिसके विश्लेषण आख्यानुसार पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा 1,857 mg/Nm^3 पाई गयी, जो कि निर्धारित मानक 50 mg/Nm^3 से अधिक है।

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए समिति द्वारा दिये गये सुझावों के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–एस.ओ. 327(इ) दिनांक 10.04.2001 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत उद्योग को सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

1- The CBWTF shall comply with emiissions standards Notified under BMWM Rules, 2016.
2- The CBWTF shall upgarde its incinerator to achieve 2 seconds residence time in secondary chamber.
3- The CBWTF shall ensure fully implementation of bar-coding system.
4- The CBWTF shall collect and treat the expired medicines as per provisions of BMWM Rules, 2016.
5- The CBWTF shall prepare and submit the action plan on mitigation measures to taken during closure of CBWTF.
6- The CBWTF shall otain NOC from CGWA for ground water extraction.
7- The CBWTF shall strictly follow the conditions of HW Autorisation w.r.t. waste categories & quanitites sent to TSDF.

समिति द्वारा संस्था द्वारा स्थापित कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसेलिटी का प्रभावी रूप से संचालन न किये जाने के कारण दिनांक 16.10.2018 से दिनांक 11.09.2019 की अवधि के मध्य रविवार को पड़ने वाले अवकाश को छोड़कर 283 दिन के उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित निम्न फार्मूले के अनुसार अवशेष रूपये 21,07,115/– की पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है :–

Environmental Compensation for CBWTFs = PI x S x R x N

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अंतर्गत संस्था मैसर्स संगम मेडिसर्व प्रा0लि0, जयतापुर, हण्डिया, प्रयागराज के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

......../2–

AEE 05/2

CET 05/04/2020 AEE

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

1. यह कि क्यों न उद्योग के विरूद्व रूपये 283 दिनों की उल्लंघन अवधि हेतु अवशेष रूपये 21,07,115/– की पर्यादरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये ।
2. यह कि क्यों न उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का अपेक्षित अनुपालन न किये जाने की स्थिति में संस्था के विरूद्व रूपये 8,750 प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये ।
3. यह कि क्यों न बोर्ड द्वारा निर्गत प्राधिकार एवं जल एवं वायु अधिनियमों के प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत सहमति जल/वायु रिवोक कर, संस्था के विरूद्व बंदी की कार्यवाही प्रारम्भ करदी जाये ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संस्था के विरूद्व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करदी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्था का होगा ।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत ।

भवदीय

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली ।
2. जिलाधिकारी, प्रयागराज ।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, पिकप भवन, लखनऊ ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ कि संस्था मैसर्स संगम मेडिसर्व प्रा0लि0, जयतापुर, हण्डिया, प्रयागराज को बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्राप्ति कराते हुए संस्था का अद्यतन निरीक्षण आख्या 15 दिन के अंदर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

सदस्य सचिव

Scanned with CamScanner